

फर्द अहकाम

मुनिल बगाम अनिल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

85/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विषयत रूप से
		वादी अविनयता से
	4/10/24	पत्रावली पेश हुई/P.O. साहब दीरे/अन्य कार्य वकूलाय द्वारा कार्य बहिष्कार रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली आगामी दिनांक 18/11/24 को पेश हो।
	18/11/24	पत्रावली पेश हुई/P.O. साहब दीरे/अन्य कार्य वकूलाय द्वारा कार्य बहिष्कार रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली आगामी दिनांक 10/12/24 को पेश हो।
	10/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्सोलेशन कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 11/12/24 को पेश हो।
	11/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान्त उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/12/24 को पेश हो।
	16/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान्त उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/12/24 को पेश हो।
	17/12/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार तृतीया के पत्रांक नू.अ/2024/2628 दिनांक 03/09/2024 एवं नू.अ./2024/3360 दिनांक 28/10/24

8

फर्द अहकाम

सुनिल

बनाम अनिल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 85/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>द्वारा पूर्व में कुर्वेजार रिपोर्ट के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रकरण संख्या 85/24 सुनिल बनाम अनिल एक वामरखपुरा के प्रकरण में पत्वार हल्का काशीपुरा ग्राम वामरखपुरा के खसरा नं. 32 रकबा 0.0126 हेक्टे एवं खसरा नं. 33 रकबा 6.3099 हेक्टे का विमजग प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया है जिसमें पत्वार हल्का काशीपुरा की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बानी सुनिल पुत्र रामपाल ने खसरा नं. 32 एवं 33 का बेचान कर दिया है जिसका नियमानुसार नामान्तरण भी दर्ज हो चुका है। अतः वर्तमान में वादी के नाम उक्त खसरा में कोई भूमि दर्ज नहीं है इसलिए विमजग प्रस्ताव तैयार नहीं किया जा सकता है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं तहसीलदार-दूंगा की रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरान्त तहसीलदार दूंगा की रिपोर्ट के मध्यमजर वादी के नाम उक्त खसरा में कोई भूमि दर्ज नहीं होने के कारण</p>	

8

फर्द अहकाम


सुनिल

बनाम अनिल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

85/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है इसलिए वादी का वाद आगे जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी का वाद तद्वसीलदार वर्ग की रिपोर्ट नं. अ/2024/3360 दिनांक 28/10/2024 एवं नं. अ/2024/2628 दिनांक 03/09/2024 के आधार पर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर बस्सी जिला-जयपुर </p>